

क्रमांक/क्रय/CCMGMCH/2023/ 2745

दुर्ग, दिनांक/ 12/12/23

कोटेशन सूचना

Quotation Notice

विषय:- चिकित्सालय के नेत्ररोग विभाग हेतु कन्ज्यूमेबल सामग्री क्रय के संबंध में।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चन्द्रलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग (छ.ग.) के नेत्र रोग विभाग हेतु कन्ज्यूमेबल सामग्री की आवश्यकता है, अतः उक्त सामग्री को क्रय किये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिये निम्नलिखित प्रारूप में ही कोटेशन प्रस्तुत करे :-

| S.No. | Description | Specification | Make/Product Code | Base Price | GST | Grand Total |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-----|-------------|
| 1. | Phaco Ultrasound Cassette-compatible with Laureate Cassette pack | | | | | |

अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 07 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

नियम एवं शर्त:-

- कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे। दर अंको एवं शब्दो दोनों में अंकित की जानी चाहिए।
- कृपया जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करें साथ ही फर्म का वेंडर डिटेल्स संलग्न करें।
- किसी भी फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
- सामग्रियों को चिकित्सालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
- आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर ही सामग्रियाँ प्रदाय किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
- लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम अंकित होना चाहिए।
- प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
- कार्य संपादन पश्चात संबंधित मानक का प्रमाण पत्र (certificate) प्रस्तुत करना होगा।
- राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- सामग्री अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
- उक्त सामग्री गुणवत्ता विहिन पाये जाने पर वापस किये जाने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा। अनुमानित संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
- दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।

Jyank 12.12.23

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चन्द्रलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)
दुर्ग, दिनांक/

क्रमांक/क्रय/CCMGMCH/2023/
प्रतिलिपि:-

अधिष्ठाता, चन्द्रलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचान्दूर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

//

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चन्द्रलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)